श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 हनुमानगढ जं0–335512

Tel. 01552-260522

निविदा सूचना

संघ द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए बोलेरो कैम्पर एसी वाहन किराये पर लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इस कार्य हेतु निविदा प्रपत्र 236/– के नगद भुगतान पर दिनांक 29–10–2024 को दोपहर 1 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण भरा हुआ निविदा प्रपत्र मय अमानत राशि 25000/– रूपये के उसी दिन दोपहर 2.30 बजे तक स्वीकार किये जाकर सायं 3 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जावेगें। निविदा खुलने की दिनांक को यदि अवकाश हो तो अगले दिन निविदायें खोली जावेंगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

(उग्रसेन सहारण)
प्रबन्ध संचालक

क्रमांक/गंगमूल/निविदा/2024/9001–05 दिनांकः– 23–10–2024

प्रतिलिपिः–

1. संपादक दैनिक .... को भेजकर लेख है कि आप उक्त निविदा सूचना को अपने समाचार पत्र में शीघ्रातिशीघ्र एक बार 8 गुणा 8 सेमी साईज में संघ के लोगों सहित प्रकाशित करने का कश्ट करें।
2. प्रभारी पीएंडआई/प्रभारी लेखा/ प्रभारी एम0आई0एस0।
3. प्रभारी (अभि0)।
4. अतिरिक्त निजी सचिव प्रबन्ध संचालक प्रबन्ध संचालक।
5. नोटिस बोर्ड।
6. कार्यालय पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।

प्रबन्ध संचालक

2Reg.No. 35KH Dated 30/1/84

Sri Ganganagar Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,Hanumangarh.

(FSMS ISO 22000:2005 CERTIFIED ORGANIZATION)

निविदा फार्म (बोलेरो कैम्पर एसी)

मूल्य – 236 /–

फार्म संख्या – ....

श्रीमान प्रबंन्ध संचालक महोदय,
गंगमूल डेयरी, हनुमानगढ जं0.।

निविदा देने वाले का पूरा नाम व स्थाई पता –

....

....

....मोबाईल/ फोन न0...

पैन संख्या...ईमेल आईडी...

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय व दिनॉक = 29-10-2024 को बाद दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र भरकर जमा करवाने का समय व दिनॉक = 29-10-2024 को बाद दोपहर 2.30 बजे तक
निविदा प्रपत्र खोलने का समय = 29-10-2024 को सांय 3.00 बजे
(संघ कार्यालय हनुमानगढ)

विवरण :–

1. वाहन का प्रकार ....
2. मॉडल व वाहन संख्या ....
3. दर प्रति किलो मीटर
   अंको में ....
   शब्दों में ....

मैं प्रमाणित करता हूं कि : –

1. निविदा प्रपत्र फीस रूपये 236 रसीद संख्या...दिनॉक.................................
2. मैने निविदा प्रपत्र के साथ **25,000.00 रूपये** अमानत राशि रसीद संख्या ....दिनांक ..../डी0डी0 संख्या.......................दिनॉक.......................... द्वारा जमा करवा दिये गये है।
3. समस्त शर्ते मैनें पढ / सुन ली है एवं मुझे मान्य है।
4. उक्त दर, बिना मेरी कोई शर्त मुझे मान्य है।
5. नेगोशियेशन के पश्चात .... दर प्रति किलो मीटर मुझे मान्य है।

Prince Phutela

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

निविदा भरते समय शर्ते (बोलेरो कैम्पर एसी वाहन)

1. निविदादाता को संघ कार्यालय से निर्धारित निविदा प्रपत्र प्राप्त कर निविदा भरनी होगी एवं निविदा शर्त मय हस्ताक्षर संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा टैण्डर नोटिस में दिये गये निर्धारित स्थान एवं दिनांक व समय को खोली जावेगी। निविदा कर्ता निविदा खोलने के स्थान पर उपस्थित रह सकेगा।
3. प्रबन्धं संचालक न्यूनतम दर पर परिवहन ठेके को दिये जाने हेतु बाध्य नही होगें। प्रबन्धं संचालक को किसी भी निविदा को स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार होगा। और ठेका निरस्त करने पर किसी प्रकार का ठेकेदार को स्पष्टीकरण नही दिया जावेगा।
4. ठेकेदार को स्वंय या स्वंय के कार्यालय का पता देना होगा, जिस पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार किया जा सके। ठेकेदार द्वारा दिये गये पते पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार करने पर पत्र का मिलना माना जावेगा।
5. ठेकेदार द्वारा अधुरे एवं लापरवाही द्वारा भरे हुऐ निविदा फार्म को ठेकेदार टैण्डर खुलने के समय / बाद में वापस नही ले सकेगा।
7. बिना अमानत राशि (डीडी) जमा करवाये निविदा मान्य नहीं होगी एवं अमानत एवं धरोहर राशि के रूप मे जमा रकम पर कोई ब्याज देय नही होगा।
8. वाहन निविदादाता के स्वयं के नाम पंजीकृत होना आवश्यक है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करनी होगी अन्यथा इसके अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अगर कोई निविदादाता नया वाहन लगाना चाहता है तो निविदा खोलने की दिनांक के बाद का कय किया हुआ वाहन ही स्वीकार किया जावेगा एवं नये वाहन लगाने हेतु प्रार्थना पत्र साथ में लगाना होगा ।
9. निविदा प्रपत्र के साथ 25000--00 रूपये नकद / डी0डी0 व निविदा स्वीकृत होने के पश्चात एवं कार्य आदेश जारी होने से पूर्व 15,000--00 रूपये कुल 40,000 (चालीस हजार रूपये) धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी।
10. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म में कोटेड दर को अंको व शब्दो में भरना होगा। दर सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दो में लिखी गई दर मान्य होगी।
11. निविदा स्वीकृत होते ही यह माना जावेगा की निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है तथा निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होगे। निविदा शर्तो में निविदा दाता को किसी भी शर्त को हटाने या जोडने का अधिकार नही होगा। यदि किसी निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तो में किसी प्रकार का परिवर्तन / फेरबदल किया जाता है तो यह मान्य नही होगा तथा उक्त निविदादाता का टैण्डर निरस्त कर दिया जावेगा।
12. यदि वाहन साझेदारी मे हो तो किसी एक साझेदार के हस्ताक्षर करवाने चाहिये, बशर्ते उसके पास पावर ऑफ अर्टोनी हो। निविदा फार्म के साथ साझेदारी डीड सलंग्न करनी होगी। साझेदारी डीड के अभाव में टैण्डर स्वीकार नही किया जावेगा।
13. दो न्यूनतम दरों वाले निविदादाताओ की अमानत राशि संघ द्वारा रोकी जावेगी। द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता की संघ मे जमा राशि प्रथम न्यूनतम दर वाले वाहन पथ मे लगने के उपरान्त ही लौटाई जा सकेगी।
14. एक निविदा फार्म केवल एक ही पथ के लिए मान्य होगा। जितने पथों के लिए निविदा भरी जायेगी उतने ही फार्म भरने होंगे।
15. पूर्व में यदि किसी वाहन ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया है तो उसकी निविदा स्वीकृत नही की जावेगी।
16. किसी कारणवंश से अगर पूर्व में वाहन को हटाया गया, बीच अवधि में अनुबंध निरस्त किया गया, संघ को कोई भी हानि पहुॅचाने की कोशिश की गई, संघ के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभर्द व्यवहार जैसा कृत्य किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा अस्वीकृत की जावेगी ।
17. अगर कोई वाहन ठेकेदार नया वाहन लगाना चाहता है तो अपना आवेदन निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दिये गये समय पर नया वाहन मय आर. सी. प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
18. अगर परिवहन ठेकेदार के संघ में चार से अधिक वाहन अनुबंधित है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा, अन्यथा बाद में अतिरिक्त वाहन होने पर भी वाहन हटाया जा सकेगा।
19. परिवहन ठेकेदार को **500/–** रूपये के नॉन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
20. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को औपचारिकताऐं पूर्ण करने हेतु अधिकतम एक माह तक का समय दिया जायेगा।
21. निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति साथ संलग्न करनी होगी।
22. वाहन का मॉडल सन 2018 से पूर्व का नही होना चाहिए।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

अनुबन्ध शर्ते (बोलेरो कैम्पर एसी)

1. ठेका अवधि कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी, विशेश परिस्थितियों में संघ द्वारा 3 माह के लिये अवधि बढाई जा सकती है, जो ठेकेदार को मान्य होगी।
2. निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारम्भ नही करने पर अमानत राशि जब्त कर किसी अन्य को ठेका दिया जा सकेगा।
3. ठेका समाप्त होने पर बकाया नही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अन्तिम बिल का भुगतान व धरोहर राशि लौटाई जावेगी।
4. ठेकेदार के किसी भी प्रकार की वसूलियों को ठेकेदार के बकाया बिल से या धरोहर राशि / सम्पत्तियों से वसूल करने का पूर्ण अधिकार संध को होगा एवं ठेकेदार के कर्मचारी या प्रतिनिधि द्वारा की गई गलती हेतु वाहन ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।
5. अगर ठेकेदार द्वारा ठेका बीच में छोड दिया जाता है तो उसकी धरोहर राशि एवं अन्य बकाया राशियां जब्त कर ली जावेगी।
6. कार्यालय को बिना अनुमति के ठेकेदार अपना ठेका दूसरे ठेकेदार को ट्रांसफर नही कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ठेका 2000/– रूपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवा कर ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
7. निविदा प्रपत्र के साथ 25,000–00 रूपये (पच्चीस हजार रूपये) व कार्य आदेश जारी होने के पश्चात 15,000–00 रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) कुल 40,000–00 रूपये (चालीस हजार रूपये) धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी।
8. ठेकेदार द्वारा वाहन नही भेजने पर कार्यालय द्वारा कोई व्यवस्था की गई तो उसका पूर्ण व्यय ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।
9. वाहन में डीजल की व्यवस्था हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।
10. वाहन में अनाधिकृत व्यक्ति / सवारियां / माल लाने पर चैकिंग के समय 50 /– प्रति सवारी जुर्माना किया जावेगा।
11. किसी भी शर्त का उल्लघन या कार्यालय / समिति के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार अथवा आदेश की अवहेलना करने पर न्यूनतम 500 रूपये तक आर्थिक दण्ड एवं ठेका समाप्त करने का अधिकार संघ को होगा।
12. खड़ी गाडी का कोई किराया देय नही होगा संघ को वाहन की आवश्यकता नही होने पर अनुबंध बीच में निरस्त किया जा सकेगा।
13. दो न्यूनतम दरों वाले निविदा दाताओं की अमानत राशि रोकी जावेगी एवं प्रबंन्ध संचालक न्यूनतम दर स्वीकृत करने के लिये बाध्य नही होंगें।
14. ठेकेदार को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा जो कि संघ में 100 रूपये जमा करवाकर बनेगा, जिस पर ठेकेदार को एतराज नही होगा।
15. वाहन का माईलोमीटर सही एवं कार्यशील होना चाहिये।
16. बिना पूर्व सूचना के वाहन निर्धारित समय से आधा घण्टा लेट लाने की स्थिति मे 100 रूपये जुर्माना व वाहन न भेजने की स्थिति मे 1,000/– रूपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना किया जावेगा
17. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन ठेकेदार को दुर्घटना बीमा की व्यवस्था अपने स्तर पर करवानी होगी एवं बीमा पत्रो की फोटो कापी संघ कार्यालय मे देनी होगी।

निविदादाता हस्तक्षर

Prince Phutela

18. वाहन ठेकेदार को भुगतान हेतु बिल प्रिटेड स्वीकृत प्रारूप में हर माह में दो बार दिनांक 1 से 15, 16 से 30 / 31 तक तीन प्रतियों में निर्धारित समय में देना होगा।
19. निविदा खोलने की दिनांक के पश्चात डीजल की दरों में भारत सरकार द्वारा वृद्वि / कमी करने पर ही वाहन की दरों में संशोधन किया जावेगा। जो संघ द्वारा पूर्व निर्धारित वाहनों की प्रति लीटर डीजल पर औसत कि0मी0 मानते किया जावेगा। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा कुछ शहरों में डीजल की दरों में प्रतिदिन कमी / वृद्धि की जा रही है। इस हेतु केन्द्र सरकार के आदेष अनुसार अगर संघ कार्य क्षेत्र में डीजल की दरों में प्रतिदिन कमी / वृद्धि लागू होती है तो प्रत्येक माह की एक तारीख को बढोतरी / कमी होने पर प्रभावित परिवहन दर 1 से 15 तारीख तक मान्य होगी एवं 16 तारीख को बढोतरी / कमी होने पर प्रभावित परिवहन दर 16 तारीख से माह की अन्तिम तारीख तक मान्य होगी।
20. किसी भी प्रकार का टैक्स, सर्विस टैक्स, टोल टैक्स, राहगीरी लगती है तो उसका भुगतान संबंधित ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा एवं उसकी समस्त जुम्मेवारी ठेकेदार की होगी एवं संघ द्वारा कोई पुनर्भरण नहीं किया जायेगा।
21. किसी भी समिति / केन्द्र के अध्यक्ष / सचिव एवं संचालक मण्डल के सदस्य तथा गंगमूल के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी का स्वयं का या पारिवारिक सदस्य का वाहन नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्ञात होने पर अनुबंध अवधि के दौरान भी वाहन को हटाया जा सकता है।
22. किसी भी परिवहन ठेकेदार के संघ में चार से अधिक वाहन अनुबंधित नहीं होने चाहिए, अन्यथा पता चलने पर अतिरिक्त वाहनों को हटाया जा सकेगा।
23. वाहन एसी मॉडल का होना चाहिए व एसी(एयर कण्डीशन प्रणाली) कार्यशील न होने पर प्रतिदिन न्यूनतम 200 रूपये जुर्माना किया जा सकेगा।
24. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य से संघ की साख / हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो ठेकेदार की संघ में जमा अमानत राशि / धरोहर राशि व बकाया परिवहन बिलों की राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा एवं ठेकेदार का नाम काली सूची में डाला जा सकेगा।
25. वाहन पर जीपीएस सिस्टम लगवाना होगा। वाहन ठेकेदार द्वारा जीपीएस सिस्टम को सुचारू रूप से चालु रखना आवश्यक होगा।
26. अगर संघ के कार्य हेतु वाहन राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में ले जाया जाता है तो लगने वाले टैक्स का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा, जिसका पुनर्भरण संघ द्वारा ठेकेदार को परिवहन बिल के साथ मूल रसीद सलंग्न करने पर ही देय होगा।

निविदादाता का पूरा नाम.......................................
स्थाई पता :–...
....

हस्ताक्षर

Prince Phutela